

इ-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0डी0 केस सं0- 35 / 2016-17

नारायण उर्फ दुखु मुर्मू बनाम मुंशी मुर्मू, ग्राम प्रधान

-: आदेश :-


आवेदक नारायण उर्फ दुखु मुर्मू, साकिन- मौजा-नावाडीह अंचल-मेहरमा जिला-नोड्डा द्वारा मुंशी मुर्मू, ग्राम प्रधान, मौजा-नावाडीह के विरुद्ध पूर्व प्रधान का गलत दस्तावेजी में नाम दर्ज कर मौजा-नावाडीह के ग्राम प्रधान के पद पर नियुक्त होने के संबंध में वाद दायर किया गया है।


दायर वाद के आलोक में अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक-703/रा0 दिनांक-17.07.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रधानी मौजा-नावाडीह, थाना नं0-121 का ग्राम प्रधान वर्तमान में मुंशी मुर्मू है, जो पूर्व प्रधान फुदन मुर्मू के वंशज है। आवेदक नारायण मुर्मू प्रधान के वंशज में नहीं आते हैं।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के आवेदन को खारिज की जाती है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


09.07.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।


09.07.22
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

11.7.22
11.7.22